तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.05/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
03.3.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी श्रवण कुमार पुत्र दरगाराम सिंघल, जाति– मेघवाल, निवासी– बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स सारणेश्वर सेल्स, राजकीय विद्यालय के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा, तहसील व जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 28.2.2022 को प्रतिवादी श्रवण कुमार ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 23.3.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा द्वारा घी का सेम्पल लिया गया था जो जांच में सब स्टेण्डर्ड आया है। अब मैनें सुधार कर दिया है जो भी जुर्माना होगा भरने हेतु स्वीकार करता हूँ। प्रकरण में प्रतिवादी श्रवण कुमार द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 28.2.2022 को ही प्रतिवादी श्रवण कुमार को सुना गया, जिन्होनें जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.3.2021 को समय 5.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म मैसर्स सारणेश्वर सेल्स, राजकीय विद्यालय के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी श्रवण कुमार पुत्र दरगाराम सिंघल, जाति– मेघवाल, निवासी– बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ घी बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ घी के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण कुमार को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण कुमार के दुकान के गोदाम पर बिक्री हेतु मौजूद घी के 25 पैक्ड टिन कंटेनर (प्रत्येक 15 किलोग्राम) में से एक टिन कंटेनर को खोलकर एक लीटर के नपने से अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए घी में से 800 ग्राम घी एक साफ, सूखे, खाली, भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीम[illegible] रुपये (अक्षरे रुपये तीन सौ बत्तीस मात्र) विक्रेता श्र[illegible] को नकद अदा कर खरीद रसीद/बि[illegible] अधिकारी ने लेबल तैयार क[illegible]कारी (मुख्य चिकित्सा ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:11:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.05/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1377, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ आईसक्रीम सोफटी आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ घी को चारों अलग अलग खाली, साफ सूखी शीशीयों में बराबर बराबर भरा। तत्पश्चात् चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1377 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.3.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्रीमती भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 23.3.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सारणेश्वर सेल्स, राजकीय विद्यालय के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता श्रवण कुमार से खाद्य पदार्थ घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम सोफटी के नमूना संख्या S-1377 की प्राप्त .जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./209/Act/2021/307 दिनांक 31.3.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी का नमूना असुरक्षित पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता श्रवण कुमार को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर [illegible] जांच रिपोर्ट दिनांक 31.3.2021 की प्रति प्रेषित कर [illegible] होने की स्थिति में पुनः जांच हेतु अपील [illegible] में प्रस्तुत ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:11:45 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही-307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.05/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की मिलमें जारी हुए
	करने हेतु सूचित किया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा पुनः जांच हेतु आवेदन करने पर खाद्य पदार्थ घी के नमूनें के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर में भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर द्वारा खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-1377 का प्रेषित विश्लेषण प्रमाण पत्र क्रमांकः 694F/FSSA/2021 दिनांक 07.9.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-1377 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्रवण कुमार पुत्र दरगाराम सिंघल, जाति– मेघवाल, निवासी– बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स सारणेश्वर सेल्स, राजकीय विद्यालय के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा, तहसील व जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत श्रवण कुमार पुत्र दरगाराम सिंघल, जाति– मेघवाल, निवासी– बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स सारणेश्वर सेल्स, राजकीय विद्यालय के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी श्रवण कुमार पुत्र दरगाराम सिंघल, जाति– मेघवाल, निवासी– बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स सारणेश्वर सेल्स, राजकीय विद्यालय के सामने, सामुदायिक भवन के पास, जामोतरा, तहसील व जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय [illegible] अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्या[illegible] में [illegible] दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। [illegible] शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति [illegible] को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आय[illegible] दिनांक 23.3.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:11:45 IST
Reason: SelfAttested